बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण)

विधेयक, 1991

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा मुद्रित

1991

बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) विधेयक, 1991

विषय–सूची

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों का ग्रहण
4. सचिव की शक्तियां और कृत्य
5. निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षण एवं अन्य कोटि के कर्मचारियों की सेवा शर्तो का निर्धारण
6. लेखा का अंकेक्षण
7. असद्भावपूर्वक की गई संविदा रद्द या परिवर्तित की जा सकेंगी
8. विषयों का अवधारण
9. छात्रों का नामांकन
10. पूर्व में नामांकित छात्रों की स्थिति
11. अपराध और शास्ति
12. अपराध का संज्ञान
13. अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई से परित्राण
14. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव
15. नियम बनाने की शक्ति
16. निरसन और व्यावृति

बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) विधेयक, 1991

बिहार में प्रावैधिकी शिक्षा के विकास हेतु अभियंत्रण के नए विषयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ एवं प्रोत्साहित करते हेतु तीन निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों (इंडियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मोतिहारी, जे0 एम0 आई0 टी0 दरभंगा एवं मगध इंजीनियरिंग कॉलेज, गया) का ग्रहण करने के लिये विधयेक।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नाकिंत रूप में यह अधिनियम हो :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :–(1) यह अधिनियम बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) अधिनियम, 1991 कहा जा सकेगा।

2. यह तुरन्त प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएं – अब तक कि संद्र्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –

(i) ''निजी अभिंत्रण महाविद्यालयों'' से अभिप्रेत है इंडियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मोतिहारी, जे0 एम0 आई0 टी0, दंरभगा एवे मगध इंजीनियरिंग कॉलेज, गया;

(ii) ''सचिव'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग का सचिव;

(iii) ''शासी निकाय'' से अभिप्रेत है संबधित निजी अभियंत्रण महाविद्यालय का एसोसिएशन या प्रबन्ध समिति;

(iv) ''नियत दिन'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि ।

3. निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों का ग्रहण–(1) इस अधिनियम के प्रभावी होने के तिथि से इंडियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, मोतिहारी, जे0 एम0 आई0 टी0; दरभंगा ऐव मगध इंजीनियरिंग कॉलेज, गया सभी ऋण भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित तथा उसमें पुर्णतः निहित हो जायेंगे।

(2) उपधारा (1) में वर्णित सभी निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों के साथ– साथ उससे आनुवंशिक सभी शासी निकायों या प्रबंध समितियां की सभी चल अलच अस्तियांण सम्पत्तियां, जिसमें भूमि, भवन, प्रयोगशाला, कर्मशाला, भंडार, उपकरण, मशीनरी, गाडि.यां, नकद शेष, आरक्षित विधि , पुंजी विनिधान, फर्नीचर और फिक्सर और अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर ग्रहण की तारीख से राज्य सरकार को अनतरित और उसमें निहित हो जायेगी।

(3) इस निजी अभियंता महाविद्यालय का किसी अन्य तकनीकी संस्था में परिवर्त्तिर करने की शक्ति राज्य सरकार को रहेगाी और समझा जाएगा कि वह हमेशा से प्रवृत्त है।

4. **सचिव की शक्तियां और कृत्य–** (1) इस अधिनियम से उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार में निहित इन निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों के संबंध में यह समझा जायेगा कि सचिव ने नियत दिन से प्रभार ले लिया है।

(2) सचिव लिखित सूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार में निहित किसी संपत्ति का कब्जे में रखने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे तुरन्त अभ्यर्थित कर दे या उसका

कब्जा सौंप दें एवं यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना का अनुपालन करने से इन्कार करें या अनुपालन नहीं करे तो सचिव उस संपत्ति कर प्रवेश कर उसका कब्जा ले सकेगा तथा इसके प्रयोजनार्थ वह यथावश्यक बल का प्रयोग या करवा सकेगा।

(3) सचिव के अनुरोध पर संबंधित जिला दंडाधिकारी उप–धारा (1) के अधीन सचिव के आदेश को बलपूर्वक अनुपालन करवाने के लिये आवश्यक सहायता प्रदान कर सकेगा।

(4) सचिव या राज्य सरकार के अनुमोदन से उसके द्धारा इस निमित नाम–निदेशित व्यक्ति राज्य सरकार के निदेशन और नियंत्रिण के अधीन शासी निकाय/प्रबंध समिति के कृत्यों और कर्त्तव्यों का निष्पादन तबतक करेगा जबतक राज्य सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था न कर ले।

(5) **निजी अभियंत्रण महाविधालयों के शिक्षण एवं अन्य कोटि के कर्मचारियों की सेवा शर्तो का निर्धारण**–(1) धारा 3 के अधीन राज्य सरकार में निहित होने की तारीख से निजी अभियंत्रण महाविद्यालय में नियोजित सभी शिक्षण एवं अन्य कोटि के कर्मचारी संबंधित निजी अभिंयत्रण महाविद्यालय के कर्मचारी नहीं रह जायेगेः

परन्तु यह कि जबतक राज्य सरकार उप–धारा (3) के अधीन कोई विनिश्यच नहीं कर लेती, वे तदर्थ आधार पर संबधित निजी अभियत्रंण महाविधालय की सेवा करते रहेंगे।

(2) राज्य सरकार विशेषज्ञों या जानकार व्यक्तियों की एक या अधि समितियां गठित करेंगी जो प्रत्येक निजी अभियंत्रण महाविद्यालय के कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारी भर्ती संरूप (स्टाफिंग पैटर्न) और शिक्षण तथा अन्य कोटि के कर्मचारी के जीवनवृत्त को भी जाँच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों की प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत कर्मचारी भर्ती संरूप (स्टाफिंग पैटर्न) नियुक्ति, प्रोन्नति या सुपुष्टि, विश्वविद्यालय आधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, नियम या सरकारी निदेश/परिपत्र के अनुसार समुचित है या नहीं और सभी प्रासंगिक तथ्यों यथा निजी अभियंत्रण महाविद्यालय की आवश्यकताओं, अर्हता, अनुभव और शोध डिग्री इत्यादि को विचार में रखेगी तथा राज्य सरकार को अपना प्रविवेदन प्रस्तुत करेगी।

(3) राज्य सरकार, यथास्थिति, समिति या समितियों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर शिक्षण तथा अन्य कोटि के कर्मचारियों की संख्या तथा कर्मचारी भर्ती संरूप (स्टाफिग पैटर्न) नियमानुसार निर्धारित करेगी और शिक्षण तथा अन्य कोटि के कर्मचारियों के हरेक सदस्य के बारे में हरेक मामले के गुणागुण के आधार

पर विनिश्चित करेगी कि उन्हें सरकारी सेवा में लिया जाय अथवा उनकी सेवा पर बनाये रखा जाय तथा आवश्यकतानुसार वह उनकी पंक्ति, वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तो को पुनः अवधारित करेगी ।

6. लेखा का अंकेक्षण– राज्य सरकार की प्रत्येक निजी अभियंत्रण महाविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समुचित रीति के अंकेक्षण कराने का तथा ऐसी अंकेक्षण से फलस्वरूप प्रकाश में आये निजी अभियंत्रण महाविद्यालय के किसी पदाधिकारी (ऑफिस वियरर) या कर्मचारी द्धारा किये गये दुर्विनियोग की रकम को उसने वसूल करने का अधिकार होगा।

7. असद्भावपूर्वक की गई संवदा रद्द या परिवर्तित की जा सकेगी – धारा 4 में अन्तर्ष्टि उपबन्धों पर प्रतिकुल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन इस निजी अधिनियम महाविद्यालयों के राज्य सरकार में निहित होने के पुर्व किसी समय नियंत्रण बोर्ड और किसी अन्य व्यक्ति के बीच अथवा शासी निकाय और किसी अन्य व्यक्ति के बीच की गई संविदा पे करार का रद्द या परिवर्तित कर सकेगी, यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसी संविदा का करार वेइमानी से और असद्भावपूर्वक किया गया है और निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों के हित में हानिकारक है।

8. विषयों का असाधारण– राज्य सरकार गृहित निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों के मुख्य रूप से अभियंत्रण के लिए विषयों के पाठ्यक्रम को प्रारंभ करेगी एवं आवश्यकतानुसार अन्य विषयों के पाठ्यक्रम को चालू रख सकेगी।

9. छात्रों का नामांकन– निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों के ग्रहण करने के पश्चात् प्रथम वर्ष विषयानुकूल नामांकन हेतु छात्रों की संख्या के निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

10. पूर्व में नामांकित छात्रों की स्थिति – (1) धारा 5के अधीन निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों के गृहित किये जाने के पूर्व संबंधित निजी अभियंत्रण महाविद्यालय में नामांकित सभी छात्रों को प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में नामांकित समझा जायेगा, संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने के अधिकारी होंगे। संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को गुणागुण, स्वेच्छा एवं संस्थानों की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय वर्ष की उपयुक्त शाखा में प्रवेश दिया जायेगा :

परन्तु यह कि ऐसी परीक्षाओं की संचालन एवं विनियमन संबंधित विश्वविद्यालय में विद्यमान प्रावधानों के आधार पर किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रभावी होने के पुर्व बिहार विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1986 में आयोजित बी0 एस–सी0 इंजीनिंयरिंग के प्रथम वर्ष की विशेष परीक्षा में निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों के उत्तीर्ण छात्र द्वितीय वर्ष में प्रवेश पाने के अधिकरी होगें।

1. **अपराध और शास्ति** –(1) यदि कोई व्यक्ति –

2. (क) इस अधिनियम अथवा इसके अधीन दिये गये किसी आदेश द्वारा कोई विवरण देने या जानकारी प्रस्तुत करने से इन्कार करता है, अथवा ऐसे विवरण देता है या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करता है जिसका कोई महत्वपूर्ण ब्योरा मिथ्या हो या जिसके मिथ्या होने की उसे जानकारी या विश्वास हो या जिसके बारे में उसे विश्वास नहीं हो कि वह सत्य है, या

(ख) किसी ऐसी वही, लेखा ,विवरणी का अन्य दस्तावेज में जिसे प्रस्तुत करने की उसे इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश द्वारा अपेक्षा की जाय, ऐसा विवरण देता है, जो मिथ्या हो या जिनके बारे में उसे विश्वास न हो कि वह सत्य है;

उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने अपराध किया है और वह दो वर्ष तक के कारावास या एक हजार पांच सौ रूपये के जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति –

(क) अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में निजी अभियंत्रण महाविद्यालय, शासी निकाय या नियत्रंण बोर्ड की आस्तियों का भागस्वरूप किसी संपत्ति को रखते हुए ऐसी संपत्ति को राज्य सरकार को सौंपने से दोषपूर्वक रोक लेता है; या

(ख) ऐसी किसी संपत्ति का गलत ढंग से कब्जा प्राप्त करता है जो निजी अभियंत्रण महाविद्यालय, शासी निकाय या नियंत्रण बोर्ड का भाग हो; या

(ग) अपने कब्जे या अभिरक्षा या नियंत्रण में रखे हुए किसी रजिस्टर, अभिलेख या अन्य दस्तावेज को गलत ढंग से रोक रखता है या उस राज्य सरकार द्धारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को नहीं प्रस्तुत करता है या सौंपता है, या

(ध) किसी युक्तियुक्त कारण के बिना अपेक्षा की जाने पर कोई लेखा–वही या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है ;

उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने अपराध किया है और वह दो वर्षो तक के कारावास या एक हजार पांच सौ रूपये के जुर्माना से या दोनों के दंडनीय होगा।

12 अपराध का संज्ञान – कोई भी न्यायालय, राज्य सरकार या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को पुर्व स्वीकृति के बिना इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

13. अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई से परित्राण –राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी या कर्मचारी के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये कोई बाद, अभियोजना या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जायेगी।

14. अधिनियम का अध्यारोधी प्रभाव – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या विधि संप्रभावी किसी लिखित में अन्तर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगें।

15. नियम बनाने की शक्ति– (1) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों की कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के बाद यथाशीध्र, राज्य–विधान मंडल के प्रत्येक सदन में जबकि वह सत्र में हो, एक या एकाधिक क्रमागत सत्र मे कम–से–कम चौदह दिनों तक रखे जायेगें और जबतक बाद को तारीख निर्धारित न हो शासकीय गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होने तथा राज्य विधान–मंडल के दोनो सदनों द्वारा उक्त अवधि के दौरान किये गये उपान्तरण या वातिलीकरण के अध्यधीन होंगे परन्तु ऐसे उपान्तरण या वातिलीकरण का उन कार्यो को विधि – मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे.गा जो इसके अधीन पहले किये हों।

16. निरसन और व्यावृति – (1) बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) द्वितीय अध्यादेश, 1991 (बिहार अध्यादेश संख्या 23,1991) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रवृत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त या जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

उद्देश्य एवं हेतु

क्षेत्र में कोई अभियंत्रण संस्था नहीं रहने तथा तकनीकी शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु अभियंत्रण संस्थान की स्थापना करना तथा चलाना आवश्यक है। प्रावैधिकी शिक्षा के विकाश हेतु एवं अभियंत्रण के नये विषयों में पाठ्यक्रम प्रारम्भ एवं प्रोत्साहित करने हेतु तीन निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (इंडियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मोतीहारी जे0 एम0 आई0 टी0, दरभंगा एवं मगध इंजीनियरिंग कॉलेज, गया) का जनहित में ग्रहण किया गया है।

उपर्युक्त निजी अभियंत्रण महाविद्यालयों के ग्रहण हेतु बिहार निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) अध्यादेश, 1986 (बिहार अध्यादेश संख्या 37,1986) प्रख्यापित किया गया और अंतिम बार बिहार अध्यादेश सं0 23,1991 के रूप में प्रख्यापित किया गया है। अध्यादेश के इन प्रावधानों को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

ह०/–

शिवनन्दन झा
भार –साधक सदस्य

वित्तीय संलेख

बिहार राज्य निजी अभियंत्रण महाविद्यालय (ग्रहण) अध्यादेश,1986 (बिहार अध्यादेश सं0 37,1986) द्वारा तीन अभियंत्रण महाविद्यालयों (इंडियन कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग , मोतीहारी जे0 एम0 आई0 टी0 दरभंगा तथा मगध अभियंत्रण महाविद्यालय, गया) का अधिग्रहण 9 दिसम्बर, 1986 को किया गया। इसके संचालन में तीन करोड. अठाईस लाख अस्सी हजार रूपये खर्च होने का अनुमान है जिसमें वित्त विभाग को सहमति प्राप्त कर ली गई है।

ह०/–
शिवनन्दन झा
भार –साधक सदस्य